

(Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 1/2023 dated: 16.10.2023 as required under article 348 (3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Technical Education, Vocational &
Industrial Training Department.

No. EDN (TE) A (3) 1/2023 Dated, Shimla-171002 the 16th October, 2023

"NOTIFICATION"

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Head of Department (Engineering & Non-Engineering) Group-A (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement:	1.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Head of Department (Engineering and Non-Engineering) Group-A (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2023. (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Repeal & Savings:	2.	(1) (i) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department in Electronics and Telecommunication (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1990 notified vide this Department Notification No. 1-2/83-STV-Vol.II, dated 22.06.1990, (ii) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Mechanical Engineering) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)10/96 dated 04.07.2000, (iii) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department Electrical Engineering Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)14/97 dated 17.11.98,

		<p>(iv) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Civil Engineering) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)8/96 dated 20.05.2000,</p> <p>(v) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department, Information Technology Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)17/2006 dated 2008,</p> <p>(vi) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Automobile Engineering) (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)11/96 dated 03.02.2003,</p> <p>(vii) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Architecture) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2004 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)12/96 dated 05.03.2004,</p> <p>(viii) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Computer Engineering) (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)3/2008 dated 25.02.2009,</p> <p>(ix) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Instrumentation Engineering) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A-(3)26/96 dated 16.09.97,</p> <p>(x) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Applied Sciences & Humanities) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)-9/2007 dated 27.08.2012 and</p> <p>(xi) The Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Head of Department (Pharmacy) (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,</p>
--	--	--

		2004 notified vide this Department Notification No. EDN(TE)A(3)14/96 dated 24.02.2004, are hereby repealed.
		(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

Priyatu Mandal
Secretary (Technical Education,
Vocational & Industrial Training) to the
Government of Himachal Pradesh

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HEAD OF DEPARTMENT (ENGINEERING AND NON-ENGINEERING), (GROUP-A), IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of the post	Head of Department (Engineering and Non-Engineering)
2	Number of post(s)	<p align="center">71 (Seventy one)</p> <p>Head of Department (Electronics and Communication Engineering) = 06</p> <p>Head of Department (Mechanical Engineering) = 08</p> <p>Head of Department (Electrical Engineering) = 10</p> <p>Head of Department (Civil Engineering) = 11</p> <p>Head of Department (Information Technology) = 01</p> <p>Head of Department (Automobile Engineering) = 05</p> <p>Head of Department (Architecture) = 03</p> <p>Head of Department (Computer Engineering) = 10</p> <p>Head of Department (Instrumentation Engineering) = 01</p> <p>Head of Department (Applied Sciences and Humanities) = 13</p> <p>Head of Department (Pharmacy) = 03</p>
3	Classification	Group-A
4	Scale of Pay	Level – 24 of the Pay Matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Service (Revised Pay) Rules, 2022.
5	Whether "Selection" post or "Non- Selection" post	Selection
6	Age for direct recruitment	Between 18 to 45 years
	<p>Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:</p> <p>Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:</p> <p>Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the</p>	

	<p>extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:</p> <p>Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporation / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.</p> <p><u>Note:</u> Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.</p>
7	<p>Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s)</p> <p>(a) <u>Essential Qualification(s):</u></p> <p>(i) <u>Engineering / Technology:</u></p> <p>Bachelor and Master degree of appropriate branch in Engineering / Technology from a recognized University or Institution duly recognized by the H.P. / Central Government with first Class either at Bachelor or Master Level, with minimum of 10 years relevant experience in teaching / research / industry.</p> <p>OR</p> <p>Bachelor and Master degree of appropriate branch in Engineering / Technology from a recognized University or Institution duly recognized by the H.P. / Central Government with first Class either at Bachelor or Master Level and Ph.D. in appropriate discipline in Engineering / Technology, with Minimum of 5 years relevant experience in teaching / research / industry.</p> <p>(ii) <u>Pharmacy:</u></p> <p>Bachelor and Master degree in Pharmacy from a recognized University or Institution duly recognized by the H.P. / Central Government with first class either at Bachelor level or Master level, with minimum of 10 years relevant experience in teaching / research / industry.</p> <p>OR</p> <p>Bachelor and Master degree in Pharmacy from a recognized University or Institution duly recognized by the H.P. / Central Government with first class either at Bachelor level or Master level and Ph. D in Pharmacy with minimum of 5 years relevant experience in teaching / research / industry.</p>

		<p>(iii) <u>Applied Sciences and Humanities:</u></p> <p>1st Class Master Degree in appropriate subject viz: Physics, Chemistry, Mathematics or English from a recognized University or Institution duly recognized by the H.P. / Central Government, with minimum of 10 years relevant experience in teaching / research / industry.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>1st Class Master Degree in appropriate subject viz: Physics, Chemistry, Mathematics or English from a recognized University or Institution duly recognized by the H.P. / Central Government and Ph.D. in appropriate branch with minimum of 5 years relevant experience in teaching / research / industry.</p> <p>(iv) <u>Architecture:</u></p> <p>Bachelor degree and Master degree in Architecture from a recognized University or Institution duly recognized by the H.P. / Central Government with first Class either at Bachelor level or Master level with minimum of 10 years relevant experience in teaching / research / industry or professional practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Bachelor degree and Master degree in Architecture from a recognized University or Institution duly recognized by the H.P. / Central Government with first Class either at Bachelor level or Master level and Ph.D. in Architecture with minimum of 5 years relevant experience in teaching / research / industry or professional practice of 5 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.</p> <p>(b) <u>Desirable Qualification(s):</u></p> <p>Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p>
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)	<p style="text-align: center;">Age: Not applicable</p> <p style="text-align: center;">Educational qualification: Not applicable</p>

9	Period of probation, if any	<u>Direct Recruitment / Promotion:</u> Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion / secondment / transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by promotion, failing which on secondment basis, failing both by direct recruitment on regular basis.
11	In case of recruitment by promotion / secondment / transfer, grade for which promotion / secondment / transfer is to be made:	By promotion from amongst the Sr. Lecturer(s) of concerned discipline(s) having 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which from amongst the Sr. Lecturer(s) having 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service as Sr. Lecturer and Lecturer / Workshop Superintendent with atleast 02 years of regular service as Sr. Lecturer failing both on secondment basis from the incumbents of this post working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments.
<p>(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal / Difficult / Hard areas and remote / rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:</p> <p>Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted / transferred to remote / rural areas in their promotion:</p> <p>Provided further that Officer / Official who has not served atleast one tenure in Tribal / Difficult / Hard areas and remote / rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his / her seniority in the respective cadre.</p> <p><u>Explanation I:-</u> For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal / Difficult / Hard areas / remote / rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies / convenience.</p> <p><u>Explanation II:-</u> For the purpose of proviso (I) supra the Tribal / Difficult Areas shall be as under:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 		

6. Bara Bhagal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III:- For the purpose of proviso (I) supra the Remote / Rural Areas shall be as under:

- i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division / Tehsil headquarter.
 - ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
 - iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
- (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
- (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be

	<p>Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.</p> <p>(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:</p> <p>Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.</p>	
12	If a Departmental Promotion / Confirmation Committee exist, what is its composition?	<p><u>Departmental Promotion / Confirmation Committee:</u></p> <p>As may be constituted by the Government from time to time.</p>
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview / personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview / personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test or physical test, the standard / syllabus, etc. of which , will be determined by the Commission / other recruiting agency/authority as the case may be.
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh

		Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

संख्या: ई.डी.एन.(टीई)ए.(3)1/2023 तारीख, शिमला-2, 16 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग और नॉन-इंजीनियरिंग) ग्रुप-ए (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग और नॉन-इंजीनियरिंग) ग्रुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।
		(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां:	2	(1) (i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 1-2/83/एस0टी0वी0 वॉल-11, तारीख 22.06.1990 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष में इलैक्ट्रॉनिक्स एंड टैली-कॉम्युनिकेशन (वर्ग-1 राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1990, (ii) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)10/96, तारीख 04.07.2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (मकैनिकल इंजीनियरिंग) वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000, (iii) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)14/97, तारीख 17.11.98 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष में इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997,

		<p>(iv) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)8/96, तारीख 20.05.2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (सिविल इंजीनियरिंग) वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2000,</p> <p>(v) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)17/2006, तारीख 2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008,</p> <p>(vi) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)11/96, तारीख 03.02.2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष में (ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग) वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003,</p> <p>(vii) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)12/96, तारीख 05.03.2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (स्थापत्यकला) वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2004,</p> <p>(viii) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)3/2008, तारीख 25.02.2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग) वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009,</p> <p>(ix) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)26/96, तारीख 16.09.97 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (इन्सट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग) वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997,</p> <p>(x) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)9/2007, तारीख 27.08.2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी) वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2012, और</p> <p>(xi) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(3)14/96, तारीख 24.02.2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, विभागाध्यक्ष (फॉर्मैसी) वर्ग-। (राजपत्रित)</p>
--	--	---

		भर्ती और पदोन्नति नियम, 2004, का एतद्वारा निरसन किया जाता है।
		(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

(प्रियतु मण्डल)

सचिव (तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण) हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग और नॉन- इंजीनियरिंग) ग्रुप-ए (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम:	विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग और नॉन- इंजीनियरिंग)
2	पद (पदों) की संख्या:	<p>71 (इकहत्तर)</p> <p>विभागाध्यक्ष (इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग)=06</p> <p>विभागाध्यक्ष (मकैनिकल इंजीनियरिंग)=08</p> <p>विभागाध्यक्ष (इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग)=10</p> <p>विभागाध्यक्ष (सिविल इंजीनियरिंग)=11</p> <p>विभागाध्यक्ष (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी)=01</p> <p>विभागाध्यक्ष (ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग)=05</p> <p>विभागाध्यक्ष (स्थापत्यकला)=03</p> <p>विभागाध्यक्ष (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग)=10</p> <p>विभागाध्यक्ष (इन्सट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग)=01</p> <p>विभागाध्यक्ष (अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी) =13</p> <p>विभागाध्यक्ष (फॉर्मसी)=03</p>
3	वर्गीकरण:	ग्रुप-ए
4	वेतनमान:	हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल समयमान से संलग्न पे मैट्रिक्स का स्तर-24
5	'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद:	चयन ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु:	18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया

हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जा जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	<p>(क) अनिवार्य अर्हता(एँ) :</p> <p>(i) इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में या तो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो तथा अध्यापन/अनुसन्धान/उद्योग में कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव हो।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी</p>
----	--	--

		<p>की समुचित शाखा में या तो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर हो, और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में सम्बन्धित शाखा में पी0एच0डी0 सहित अध्ययन/अनुसन्धान/ उद्योग में न्यूनतम पांच वर्ष का सुसंगत अनुभव हो।</p> <p>(ii) फॉर्मैसी:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फॉर्मैसी में या तो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि सहित अध्यापन/अनुसन्धान/उद्योग में कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव रखता हो।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फॉर्मैसी में या तो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि हो और फॉर्मैसी में पी0एच0डी0 सहित अध्यापन/अनुसन्धान/उद्योग में कम से कम पांच वर्ष का सुसंगत अनुभव हो।</p> <p>(iii) अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी :</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से समुचित विषय अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या अंग्रेजी में या तो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उपाधि सहित अध्यापन/अनुसन्धान/उद्योग में कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव रखता हो।</p>
--	--	---

		<p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से समुचित विषय अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या अंग्रेजी में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उपाधि रखता हो और समुचित शाखा में पी0एच0डी0 सहित अध्यापन/ अनुसन्धान/उद्योग में कम से कम पांच वर्ष का सुसंगत अनुभव हो।</p> <p>(iv) स्थापत्यकला :</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्थापत्यकला में या तो स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित स्नातक उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि सहित अध्यापन/ अनुसन्धान/उद्योग में कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव रखता हो या वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित दस वर्ष की व्यावसायिक प्रैक्टिस को भी विधिमान्य समझा जाएगा।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्थापत्यकला में या तो स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर हो और स्थापत्यकला में पी0एच0डी0 सहित अध्यापन/अनुसन्धान/उद्योग में कम से कम पांच वर्ष का सुसंगत अनुभव हो या वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित पांच वर्ष की व्यावसायिक प्रैक्टिस को भी विधिमान्य समझा जाएगा।</p>
--	--	---

		<p>(ख) वांछनीय अर्हता (ए) :</p> <p>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (ए), प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं:	<p>आयु: लागू नहीं।</p> <p>शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	<p><u>सीधी भर्ती/प्रोन्नति के लिए:</u></p> <p>(i) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।</p>
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैण्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	<p>शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, यदि ऐसा न होने पर सैकण्डमैण्ट द्वारा, दोनों के न होने पर नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>
11.	प्रोन्नति/सैकण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा:	<p>सम्बद्ध शिक्षा-शाखा (ओं) के वरिष्ठ प्राध्यापक (कों) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ प्राध्यापक (कों) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या वरिष्ठ प्राध्यापक और प्राध्यापक/कार्यशाला अधीक्षक, जिसमें वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का नियमित</p>

		<p>सेवाकाल हो, के रूप में लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, उपरोक्त दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समरूप वेतनमान पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों में से सैकण्डमैण्ट आधार पर।</p>
		<p>(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन जातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्वधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:</p> <p>परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवार्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगा:</p> <p>परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।</p> <p>स्पष्टीकरण I:- उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।</p> <p>स्पष्टीकरण II:- उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

		<p>3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।</p> <p>4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट।</p> <p>5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।</p> <p>6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।</p> <p>7. जिला किन्नौर।</p> <p>8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरुड के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।</p> <p>9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पधर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।</p> <p>स्पष्टीकरण-III उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-</p> <p>(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।</p> <p>(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।</p> <p>(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।</p>
--	--	--

		<p>(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक(पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:</p> <p>(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पद की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने- अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:</p> <p>परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:</p> <p>परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे।</p> <p>स्पष्टीकरण:- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में कार्य ग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ</p>
--	--	---

		<p>वैकन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।</p> <p>(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:</p> <p>परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।</p>
12	यदि विभागीय प्रोन्नति स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती

		प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचित समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
16.	आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्वधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18.	शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।